आवश्यक/समयबद्ध

संख्या- 23 /2024/1419506 /12-2099/139/2021-295/2024

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊदिनांक : 07 मार्च 2024

विषयः पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरकों का स्टाक एवं .एस .एम.एफ.प्रदेश में समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर आई-बफर गोदाम बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का शतप्रतिशत सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1526/12-2-2023 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा फुटकर विक्रेताओं के साथसाथ थोक उर्वरक विक्रेता-ओं एवं बफर स्टाकिस्टो के स्टॉक का सघन निरीक्षण किये जाने एवं रीयल टाइम एक्नालेजमेन्ट किए जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशानिर्देश जारी किए गए है। -

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक विक्रेताओं द्वारा पी एस मशीन के.ओ. माध्यम से की गई उर्वरको की बिक्री को सत्यापित करने हेतु सतत् अनुश्रवण एव प्रवर्तन आवश्यक बताते हुए उक्त प्रक्रिया का विचलन कर बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त उर्वरक बफर गोदामोफुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर उपलब्ध भौतिक /मोंथोक उर्वरक बिक्री गोदा/ दिनाक पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरको के सम्भार के आधार पर .एस.एम.एफ.प्रतिशत सत्यापन आई-स्टाक का शत 15 मार्च, 2024 से 25 मार्च 2024 के मध्य निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए-:

(1) उर्वरकों के स्टाक का भौतिक सत्यापन dbtfert.nic.in के mFMS पोर्टल पर सत्यापन की तिथि को देयर हाउस थोक विक्रेता फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रवार प्रदर्शित होने वाले /स्टाक की मात्रा के सापेक्ष ही अनिवार्य रूप से किया जाए।

(2) जिला कृषि अधिकारी के द्वारा आईपोर्टल से बफर थोक गोदाम एवं फुटकर बिक्री केन्द्रवार .एस .एम.एफ . उपलब्ध उर्वरकों के सम्भार की सूची का प्रिन्ट आउट सत्यापन की तिथि को सत्यापनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

(3) सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के कम्पनी वेयर हाउस -गोदामों एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के गोदामों का शत / प्रतिशत सत्यापन करने हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से03 सदस्यीय टीम गठित की जाए, जिसमें जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी सम्मिलित होगे। टीम के द्वारा आईप्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए।-पोर्टल पर प्रदर्शित स्टाक के सापेक्ष शत .एस .एम .एफ.

(4) फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर उपलब्ध स्टाक का आईएस मशीन में प्रदर्शित .ओ.पी/पोर्टल .एस .एम.एफ . स्टाक के अनुसार शतप्रतिशत सत्यापन कराने हेतु कृषि-, सहकारिता एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) यदि किसी बफरपोर्टल में प्रदर्शित सम्भार तथा विक्री .एस .एम .एफ.थोक गोदाम एवं बिक्री केन्द्र पर आई/ केन्द्र पर उपलब्ध भौतिक सम्भार में भिन्नता याकिसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो तद्नुसार सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध जाँचोपरान्त उर्वरक आदेश (नियंत्रण)1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(6) आईपोर्टल में प .एस .एम.एफ .ंरदर्शित उर्वरक सम्भार के आधार पर उपरोक्तानुसार भौतिक सत्यापन दिनाक 15 मार्च 2024 से दिनाक 25 मार्च, 2024 की अवधि में कराते हुए बफर गोदाम थोक उर्वरक विक्रेताओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रारूप-भाग) ए-1 एवं भाग-2) तथा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की सत्यापन से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप-भाग) बी-1 एवं भाग-2) पर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश उर्वरक) को (अनुभाग दिनांक 27 मार्च 2024 तक अवश्य उपलब्ध कराई जाए।

2. यह भी सुनिश्चित करे कि सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार आई .एस .एम .एफ.पोर्टल पर प्रदर्शित उर्वरक सम्भार और बफर गोदाम तथा थोक एवं फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भीतिक सम्भार का वास्तविक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।

3. सत्यापन का कार्य सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में यदि सत्यापन में कोई अनियमितता या त्रुटि प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित सत्यापनकर्ता अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

उक्त निर्देशों का कृपया कडाई से सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय ,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-23 /2024/1419506(1)/12-2099/139/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं निबन्धन, सहकारी समितियॉं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त कृषि निदेशकउप कृषि निदेशक/, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड बुक

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-ए

भाग-1

बफर गोदाम/थोक उर्वरक गोदामों में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदार्शित उर्वरक सम्भार एर्व बफर गोदाम पर उपलब्ध भा"तिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापनकर्ताका नाम:

पदानाम:

जनपदा का नाम:

विभाग का नाम:

क्र0 सं0	सत्यापन की तिथि	बफर गोदाम/ थोक उर्वरक बिक्री केन्द्र का नाम एवं पता	उर्वरक विक्रेता की एम.एफ.एम.एस .आई.डी.. संख्या	आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदार्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)					अन्तर की मात्रा (मात्रा मी.टन में)					अभ्युक्ति
				यूरिया	डीएपी	एनपीके	एफओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

हस्ताक्षर

मुहर सहित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>प्रारूप-बी</u>

भाग-1

फुटकर उर्वरक शिर्विक्रेताओं की आई . एफ . एम . एस . पोर्टल में प्रदार्शित उर्वरक सम्भार एर्व बफर गोदाम पर उपलब्ध भा"तिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापनकर्ताका नाम:

पदानाम:

जनपदा का नाम:

विभाग का नाम:

क्र0सं0	सत्यापन की तिथि	फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्र का नाम एवं पता	उर्वरक विक्रेता की एम.एफ.एम.एस .आई.डी.. संख्या	आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदार्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)					अन्तर की मात्रा (मात्रा मी.टन में)					अभ्युक्ति
				यूरिया	डीएपी	एनपीके	एफओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

हस्ताक्षर

मुहर सहित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-ए

भाग-2

बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्दो की आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर/थोक केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

क्र0सं0	जनपद में बफर/थोक बिक्री केन्द्रो की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या	जनपद में आई.एफ.एम.एस.पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी0टन में)					जनपद में उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)					अन्तर की मात्रा (मात्रा मी.टन में)					अभ्युक्ति
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एफओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

हस्ताक्षर

मुहर सहित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-बी

भाग-2

बफर/थोक उर्वरक विक्रेताओं की आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदार्शित उर्वरक सम्भार एर्व बफर/ थोक केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

क्र0सं0	बफर/थोक बिक्री केन्द्रो की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित बफर गोदामों की संख्या	जनपद में आई.एफ.एम.एस.पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी0टन में)					जनपद में उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.र्टन में)					अन्तर की मात्रा (मात्रा मी.र्टन में)					अभ्युक्ति
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एफओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

हस्ताक्षर

मुहर सहित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।